राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 13103/2022

डॉ. एच.एल. अरोड़ा, सेवानिवृत्त/तत्कालीन प्राचार्य, एस.पी. मेडिकल कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। वर्तमान निवास-बी-110, सरस्वती मार्ग, बजाज नगर, जयपुर, राजस्थान, 302015

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. डॉ. गुरदीप सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी 3/147, हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। वर्तमान निवास-1ए-33, शिव शक्ति कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर (राजस्थान)।
2. राजस्थान राज्य-मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, भगवानदास रोड, स्टेच्यू सर्कल के पास, जयपुर के माध्यम से।
3. डॉ. ए.ए. सुलेमानी, सेवानिवृत्त/तत्कालीन प्रोफेसर (मेडिसिन), एस.पी. मेडिकल कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। वर्तमान निवास-अजीज अहमद क्लिनिक, जय नारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर राजस्थान, 334003.
4. डॉ. एन.एन. पुरोहित, सेवानिवृत्त/तत्कालीन प्रोफेसर (मेडिसिन), एस.पी. मेडिकल कॉलेज, बीकानेर। वर्तमान निवास-सी-211ए, ज्ञान मार्ग, तिलक नगर, जयपुर, राजस्थान, 302004.
5. डॉ. एम.एम. बागड़ी, सेवानिवृत्त/तत्कालीन प्रोफेसर (सर्जरी) एस.पी. मेडिकल कॉलेज, बीकानेर। वर्तमान निवास-एफ-2, करणी नगर, पवनपुरी, बीकानेर, राजस्थान, 334004.
6. श्री ओ.पी. सैनी, सेवानिवृत्त/तत्कालीन रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर। वर्तमान निवास-50, रेल नगर, भगवान पथ, किंग रोड, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान, 302019.
7. राजस्थान विश्वविद्यालय-रजिस्ट्रार-जेएलएन मार्ग, जयपुर-302004 के माध्यम से।
8. सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज-प्रिंसिपल, बीकानेर, राजस्थान 334001 के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री भरत व्यास, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नितेश कुमार बागरी और श्री जय वर्धन जोशी, के साथ
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	डॉ. गुरदीप सिंह, स्वयं

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

<u>आदेश सुरक्षित करने की तिथि</u> <u>17/02/2023</u>

<u>आदेश उच्चारित करने की तिथि</u> <u>29/03/2023</u>

1. याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत यह रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 9, जयपुर महानगर-I, जयपुर द्वारा सिविल सूट नंबर 25/2022 (डॉ. गुरदीप सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य) जिसके तहत, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 नियम 1 के तहत प्रत्यर्थी नंबर 1-वादी द्वारा दायर आवेदन की अनुमति दी गई थी, पारित आदेश दिनांक 06.07.2022 को चुनौती दी गई है।

2. इस न्यायालय ने दिनांक 14.09.2022 के आदेश के माध्यम से, दिनांक 06.07.2022 के आक्षेपित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद, उक्त स्थगन आदेश को रद्द करने के साथ-साथ मामले की शीघ्र सुनवाई और निपटान के लिए आवेदन दायर किए गए थे। तदनुसार, दिनांक 15.02.2023 के आदेश के अनुसार, प्रत्यर्थी-वादी, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहा है, को कानूनी सहायता/सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव बढ़ाया गया था। हालाँकि, उन्होंने उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह इस मामले पर स्वयं बहस करने के लिए कानून से अच्छी तरह परिचित हैं।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि के आलोक में और दोनों पक्षों की सहमति प्राप्त करने के बाद, मामले को अंतिम निपटान के लिए लिया गया।

4. मामले के संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि तत्काल याचिका से पता चलता है, कि प्रत्यर्थी-वादी ने प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता के विरूद्ध एक सिविल मुकदमा संख्या 25/2022 दायर किया,

जिसमें रुपये 30,75,02,642/-. की क्षतिपूर्ति क्षति की मांग की गई। इसके अलावा, प्रत्यर्थी-वादी ने गरीबी और भुगतान करने में असमर्थता का हवाला देते हुए, न्यायालय शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 नियम 1 के तहत उक्त मुकदमे में एक आवेदन दायर किया। इसके बाद, दिनांक 06.07.2022 के आक्षेपित आदेश के तहत, निचली न्यायालय ने आदेश 33 नियम 1 के तहत दायर उक्त आवेदन को स्वीकार कर दिया, जिसके विरूद्ध याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी ने यह रिट याचिका दायर की है।

5. याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित आदेश गलत है, क्योंकि निचली न्यायालय नागरिक संहिता के आदेश 33 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया प्रक्रिया (इसके बाद 'सीपीसी') को स्वीकार करने और उसका अनुपालन करने में विफल रही है। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया कि सीपीसी का आदेश 33 एक निर्धन व्यक्ति द्वारा मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। हालाँकि, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने, आक्षेपित आदेश पारित करते समय, आदेश 33 की अनिवार्य आवश्यकताओं को दरकिनार कर दिया, क्योंकि सीपीसी के आदेश 33 के नियम 5 के तहत उल्लिखित वादपत्र की अस्वीकृति के आधार के संबंध में किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा कोई उचित जांच नहीं की गई थी। इसके अलावा, निचली न्यायालय नियम 6 के तहत निर्धारित प्रक्रिया को अपनाने में भी विफल रही, क्योंकि प्रत्यर्थी-वादी को चुनौती देने वाले साक्ष्य की प्रस्तुति के संबंध में एक दिन तय करने के लिए याचिकाकर्ता के साथ-साथ सरकारी अधिवक्ता को भी कोई नोटिस नहीं दिया गया था। अपने दावे के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **विजय प्रताप सिंह और अन्य बनाम दुख हरण नाथ सिंह एवं अन्य: 1962 सप्प (2) एससीआर 675; मथाई एम. पाइकडे बनाम सी.के. एंटनी: (2011) 13 एससीसी 174; सोलोमन सेल्वराज और अन्य बनाम इंदिरानी भगवान सिंह और अन्य: (2023) 1 एससीसी 349; माइनर सिबिराज और अन्य बनाम मारीमुथु एवं अन्य: 2004-1-एल.डब्ल्यू. 335** मामले में शीर्ष न्यायालय के आदेश पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि सीपीसी के आदेश 33 के तहत निर्धारित प्रक्रिया प्रकृति में अनिवार्य है, जैसा कि उक्त प्रावधान में 'करेगा' शब्द के स्पष्ट उपयोग से परिलक्षित होता है। इसके अलावा, मथाई एम. पाइकडी (सुप्रा.) पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया था कि आदेश 33

नियम 1 में "पर्याप्त साधन" शब्द का दायरा किसी व्यक्ति की अदालती शुल्क का भुगतान करने के लिए उपलब्ध वैध तरीकों से धन जुटाने की क्षमता या क्षमता पर विचार करता है जिसमें किसी व्यक्ति के रोजगार की स्थिति, परिवार के सदस्यों या करीबी मित्रों से प्राप्त वित्तीय सहायता, वसूली योग्य भार रहित संपत्तियों का स्वामित्व आदि कारकों को यह निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है कि क्या किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन हैं या वह अदालती शुल्क का भुगतान करने के लिए निर्धन है।

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-वादी, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ है, ने सीपीसी के आदेश 33 नियम 9 के तहत याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी को उपलब्ध वैकल्पिक उपाय के आलोक में, इस रिट याचिका की स्थिरता के लिए प्रारंभिक आपत्ति उठाई है जिसके माध्यम से वह एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने के लिए प्रत्यर्थी-वादी को दी गई अनुमति को रद्द करने के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट से संपर्क कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी द्वारा उद्धृत निर्णय आदेश 33 के नियम 1 के कारण अलग-अलग हैं, जिसे 1977 में एक संशोधन के माध्यम से संहिता में शामिल किया गया था। यह कहा गया था कि उक्त नियम के अनुसार, मुख्य न्यायालय के मंत्रिस्तरीय अधिकारी को आवेदक की गरीबी के संबंध में जांच करने का अधिकार है। उक्त जांच सबसे पहले यह जानने के लिए की जाती है कि आवेदक एक गरीब व्यक्ति है या नहीं। इसके अलावा, यह न्यायालय के विवेक पर है कि वह ऐसे अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार करे या आगे की जांच करे। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह प्रस्तुत किया गया था कि निचली न्यायालय द्वारा उचित जांच की गई थी और प्रस्तुत रिपोर्ट से संतुष्ट होने के बाद, मुकदमा विधिवत दर्ज किया गया था। इसलिए, आक्षेपित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है। प्रत्यर्थी-वादी ने अपनी दलीलों के समर्थन में, **रूपनारायण और अन्य बनाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बारां एवं अन्य (एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5980/2011)** मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय और **कैथल गैस सर्विस बनाम कुमारी अन्नू (माइनर): 1992 मुकदमा (पी एंड एच) 1678** में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय पर भरोसा भी किया। उक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि 'न्यायालय शुल्क' का विषय एक ऐसा मामला है जो

वादी और राज्य के बीच सीमित है। इसलिए, इसमें प्रतिस्पर्धी पक्षों के किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आवेदक को अदालती शुल्क का भुगतान करने से छूट के साथ एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति देने से उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। प्रत्यर्थी-वादी ने नीचे संबंधित न्यायालय के रीडर ग्रेड फर्स्ट द्वारा जारी पत्रों पर भी भरोसा किया, जिन्होंने पत्र दिनांक 21.04.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी-वादी की संपत्ति की जांच की थी, जिसके अनुसरण में, पत्र दिनांक 25.05.2022 के माध्यम से, आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ़ ने प्रस्तुत किया था कि हनुमानगढ़ के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रत्यर्थी-वादी के नाम पर कोई चल या अचल संपत्ति नहीं है।

7. इस न्यायालय ने संबंधित पक्षों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है, रिट याचिका के रिकॉर्ड को देखा है और बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया है।

8. प्रश्नगत मुद्दे पर विचार करने से पहले, इस मामले में तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय हैं:-

8/1. यह कि प्रत्यर्थी-वादी एक योग्य डॉक्टर है, जिसके पास उस कॉलेज से एम.बी.बी.एस. की डिग्री है जहां याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी प्रोफेसर और प्रिंसिपल था। प्रत्यर्थी-वादी ने एक एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7585/2008 दायर की थी। उनके पक्ष में एम.बी.बी.एस. की औपचारिक डिग्री प्रदान करने के लिए, उस परीक्षा के विरुद्ध जो उन्होंने वर्ष 1990-1991 में उत्तीर्ण की थी, उन्होंने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के नियमों के अनुसार अपनी इंटर्नशिप को विधिवत पूरा करने के लिए दिशा-निर्देश मांगे थे। उपरोक्त रिट याचिका वर्ष 2008 में दायर की गई थी, जबकि उस पर अंतिम आदेश 16.02.2017 को पारित किया गया था। उक्त आदेश के तहत, यह न्यायालय रिट याचिका को स्वीकार करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रत्यर्थी-वादी को मार्कशीट और डिग्री जारी करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, न्यायालय ने राजस्थान विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि वह प्रत्यर्थी-वादी को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के नियमों के अनुसार इंटर्नशिप करने की अनुमति दे।

8/2. उक्त आदेश के अनुपालन में, एम.बी.बी.एस. डिग्री, जैसाकि प्रत्यर्थी-वादी ने प्रार्थना की थी, उसे विधिवत प्रदान की गई। इसके अलावा, उन्हें अनिवार्य इंटर्नशिप

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अनुमति दी गई।

8/3. इसके बाद, प्रत्यर्थी-वादी ने प्रतिपूरक क्षति के लिए एक मुकदमा दायर किया, जिसमें 30,75,02,642/- रुपये के मुआवजे की मांग की गई। उक्त मुआवजे की मांग प्रत्यर्थी-वादी को अपनी डिग्री प्राप्त करने में हुई अनुचित कठिनाई के अलावा, अपने समकालीनों और मेडिकल कॉलेज के बैचमेट्स की तुलना में अपने पेशे को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं होने और बेरोजगार होने के कारण की गई है। तदनुसार, सिविल सूट संख्या 25/2022 के माध्यम से, याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी, राजस्थान राज्य और मेडिकल कॉलेज के अन्य प्रोफेसरों से उपरोक्त प्रतिपूरक क्षति की मांग की जाती है।

8/4. यह ध्यान रखना उचित है कि 1991 से अर्थात उस वर्ष जब प्रत्यर्थी-वादी ने प्रतिपूरक क्षति के लिए सिविल सूट संख्या 25/2022 दाखिल करने तक अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की, याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी के साथ-साथ उसके समकालीनों को भी पार्टी नहीं बनाया गया। प्रत्यर्थी-वादी द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्यवाही। यह उपरोक्त सिविल सूट संख्या 25/2022 में सम्मन प्राप्त होने पर ही था, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 नियम 1 के तहत प्रत्यर्थी-वादी द्वारा दायर आवेदन की अनुमति दिए जाने के बाद, याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी इस मामले में एक पक्ष के रूप में कार्रवाई में आ गया है।

9. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भरत व्यास ने सही कहा कि तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, नागरिक संहिता के आदेश 33 के तहत एक आवेदन दायर किया गया है। लगभग रुपये 30 करोड़ (करोड़), मूल्य के मुकदमे में न्यायालय शुल्क के भुगतान से छूट की प्रक्रिया, जो एक उच्च परिमाण का है, सीपीसी के आदेश 33 के तहत प्रदान की गई निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का अक्षरशः और साथ ही भावनापूर्वक पालन किया जाना चाहिए।

10. इसलिए, सीपीसी के आदेश 33 के अवलोकन पर, यह विश्लेषण किया जाता है कि यदि कोई मुकदमा किसी गरीब व्यक्ति द्वारा दायर किया जाता है, तो शुरुआत में, यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या उक्त छूट चाहने वाले संबंधित व्यक्ति के पास कोई संपत्ति नहीं है। पर्याप्त साधन जो उसे ऐसे मुकदमे में कानून द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान

करने में सक्षम बना सके। तदनुसार, अदालती शुल्क के भुगतान से छूट के अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए, प्रत्यर्थी-वादी को आदेश 33 नियम 2 के आदेश के अनुसार एक आवेदन दाखिल करना होगा, जिसमें चल और अचल संपत्तियों की अनुसूची सहित कई विवरण शामिल हैं। उनके संबंधित मूल्य का खुलासा करना होगा और संबंधित न्यायालय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने से पहले उसे निर्धारित तरीके से सत्यापित करना होगा। सिविल न्यायालय को उक्त घोषणा की जांच करना अनिवार्य है। इसके बाद, आदेश 33 नियम 5 के आदेश के अनुसार, प्रावधान के भीतर दिए गए खंड (क) से (छ) पर उचित विचार करने पर, न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या उक्त आवेदन खारिज किया जा सकता है या नहीं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि नियम 5 के आदेश के अनुसार, न्यायालय यह देखने के लिए बाध्य और अनिवार्य है कि आवेदन आदेश 33 के नियम 2 और 3 के अनुपालन में दायर किया गया है। इसके अलावा, आवेदक की गरीबी का पता लगाने के लिए आदेश 33 के नियम 1क के तहत संबंधित न्यायालय के मुख्य मंत्रिस्तरीय अधिकारी द्वारा एक उचित जांच होनी चाहिए। नियम 1 के तहत प्रदान की गई सीमा की अवधि, कार्रवाई का कारण और "पर्याप्त साधन" शब्द की परिभाषा सहित महत्वपूर्ण विचारों का सख्ती से और ईमानदारी से विश्लेषण किया जाना चाहिए। जहां नियम 5 में निर्धारित आधारों पर आवेदन खारिज नहीं किया जाता है, न्यायालय को नियम 6 के तहत विपरीत पक्ष और सरकारी अधिवक्ता को आवेदक की गरीबी के बारे में नोटिस देने के बाद आगे बढ़ना होगा, ताकि साक्ष्य प्राप्त हो सके कि पक्ष निर्धारण के संबंध में प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद, नियम 7 आवेदक द्वारा दायर किए गए आवेदन की सुनवाई के समय न्यायालय द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करता है, जिसमें गवाहों की जांच और प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के संबंध में पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार, यदि कोई, शामिल है। इसके बाद, आवेदन को न्यायालय द्वारा या तो स्वीकार कर लिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है। अंत में, नियम 9 न्यायालय को एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा चलाने के लिए दी गई अनुमति को रद्द करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, बशर्ते कि न्यायालय इस तरह के निरसन की आवश्यकता के लिए परिस्थितियों और कारणों से संतुष्ट हो, जिसमें वादी की ओर से कष्टप्रद आचरण, मुकदमे की प्रक्रिया, वादी के पास मौजूद साधनों में परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय स्थिति में वृद्धि आदि भी शामिल है।

11. इस मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, यह देखा गया है कि न तो नियम 2 के तहत आवश्यक कोई भी घोषणा प्रत्यर्थी-वादी द्वारा दायर की गई थी और न ही किसी सक्षम प्राधिकारी अर्थात न्यायालय के मंत्रालयी अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी-वादी का गरीबी का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई थी। इसके अलावा, दिनांक 06.07.2022 को आक्षेपित आदेश पारित करते समय नियम 5 के आदेश का उल्लंघन किया गया था क्योंकि नीचे दी गई न्यायालय ने परिसीमा के तथ्य पर विचार नहीं किया था। याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी के अनुसार, उक्त मुकदमे में कार्रवाई का कारण वर्ष 1991 में उत्पन्न हुआ था। इसलिए, मामले के तथ्यों के अवलोकन पर, यह पाया गया कि सीमा का नियम मामला प्रथम दृष्टया रोक दिया गया था। इसलिए, प्रत्यर्थी-वादी द्वारा दायर आवेदन की अनुमति देते समय, निचली न्यायालय ने नियम 5 के प्रावधानों को अक्षरशः लागू नहीं करने की गलती की। इसके अलावा, प्रत्यर्थी-वादी द्वारा अपनी एम.बी.बी.एस. डिग्री अर्थात एकलपीठ की मंजूरी के लिए दायर रिट याचिका में सिविल रिट याचिका संख्या 7585/2008, वर्तमान याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी को कभी भी कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया, जो इस तथ्य को प्रतिबिंबित करता है कि प्रत्यर्थी-वादी ने काल्पनिक और अतिरंजित आंकड़े पर लगभग 30 करोड़ के प्रतिपूरक क्षति के लिए मुकदमा दायर किया है। यह ध्यान रखना उचित है कि याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी, जिससे क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति की मांग की गई है, उसकी उम्र 86 वर्ष है और वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आदेश 33 नियम 6 का अनिवार्य प्रावधान, जो प्रकृति न्याय और *ऑडी अल्टरम पार्टम* के सिद्धांतों पर आधारित है और राज्य के साथ-साथ विपरीत पक्ष को भी नोटिस जारी करने की आवश्यकता है। मामले के पंजीकरण को नजरअंदाज कर दिया गया था और इसलिए, याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी को अपनी गरीबी के संबंध में प्रत्यर्थी-वादी के दावों का खंडन करने वाले साक्ष्य का नेतृत्व करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था।

12. आगे यह देखा गया कि प्रत्यर्थी-वादी की गरीबी का पता लगाने के लिए नियम 1ए के तहत जांच एक अक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई थी। दोहराव के जोखिम पर, यह कहा गया है कि आदेश 33 के नियम 1क के अनुसार, न्यायालय के मुख्य मंत्रिस्तरीय अधिकारी के पास आवेदक के वित्तीय साधनों की जांच करने का अधिकार है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आवेदक के पास कोर्ट फीस का भुगतान करने के लिए पर्याप्त

साधन हैं या नहीं। हालाँकि, इस मामले में, न्यायालय के किसी मंत्रालयी अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई थी। बल्कि, उक्त कार्य रीडर फर्स्ट ग्रेड द्वारा किया गया था, जो नियम 1क के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक रूप से अधिकृत अधिकारी नहीं है। इसलिए, ऊपर दिए गए वैधानिक उल्लंघनों की अधिकता पर विचार करते हुए और नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 के अनिवार्य प्रावधानों पर ध्यान देते हुए, इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि दिनांक 06.07.2022 का विवादित आदेश कानून के तहत प्रदान किए गए अनिवार्य प्रावधानों और प्रक्रियाओं का पालन किए बिना बहुत जल्दबाजी में पारित किया गया था।

13. एक निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने के लिए दी गई अनुमति को रद्द करने के लिए नियम 9 के तहत वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के बारे में प्रत्यर्थी-वादी द्वारा दिए गए तर्क को संहिता के आदेश 33 के प्रावधानों के प्रकाश में कोई समर्थन नहीं मिलता है। नागरिक प्रक्रिया। आदेश 33 को पढ़ने पर, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि उसमें नियम कालानुक्रमिक तरीके से तैयार किए गए हैं और उन्हें तदनुसार पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि तत्काल मामले में, आदेश 33 नियम 1 के तहत प्रत्यर्थी-वादी द्वारा दायर आवेदन की अनुमति के बाद, याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी को केवल सम्मन के माध्यम से मुकदमे में एक पक्ष बनाया गया था, इस न्यायालय को कोई हिचकिचाहट नहीं है आगे यह कहते हुए कि आदेश 33 नियम (2), (5) और (6) के अधिदेश को दरकिनार कर दिया गया। तदनुसार, यह कानून की स्थापित स्थिति है कि जब प्राकृतिक न्याय और अनिवार्य वैधानिक तंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, तो पीड़ित पक्ष विवादित आदेश में कानून की स्पष्ट त्रुटियों को ठीक करने के लिए रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए, वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता का तर्क टिक नहीं पाता है।

14. इसके अलावा, 'न्यायालय शुल्क' के विषय के संबंध में प्रत्यर्थी वादी द्वारा उठाया गया विवाद छूट चाहने वाले वादी की रूपरेखा तक सीमित है और राज्य को तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई कानूनी समर्थन नहीं मिलता है, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विवादित आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था, जिससे अनजाने में

याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दिनांक 06.07.2022 को आक्षेपित आदेश पारित करते समय, कार्रवाई के कारण के अस्तित्व और सीमा की सीमा जैसे कई भौतिक विचारों को नजरअंदाज कर दिया गया था। इसके अलावा, आदेश 33 के नियम 7 के तहत निर्धारित अनुसार, याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना, आवेदन को समय से पहले स्वीकार कर लिया गया था; जिससे सीधे तौर पर याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए, याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत तत्काल रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय से संपर्क करने के अपने अधिकार में था।

15. आदेश 33 नियम 1 के तहत प्रदान किए गए "पर्याप्त साधन" शब्द के दायरे की व्याख्या के लिए याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णय कानून की स्थापित स्थिति के अनुरूप हैं, विशेष रूप से तात्कालिक मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए। बहस के दौरान, इस न्यायालय ने विशेष रूप से प्रत्यर्थी-वादी से, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ था, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत उसके पास 'स्थायी खाता संख्या' (पैन) होने के तथ्य के बारे में पूछताछ की। इसके अलावा, वह था यह भी पूछा कि क्या उनके पास 'गरीबी रेखा से नीचे' (बीपीएल) कार्ड है। अपने उत्तर में, उन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया और अपना 'स्थायी खाता नंबर' न्यायालय को सौंप दिया; साथ ही, बाद की पूछताछ को नकारात्मक रूप से संबोधित करते हुए। यह भी ध्यान रखना उचित है कि प्रत्यर्थी-वादी एक उच्च शिक्षित व्यक्ति है, जिसे एम.बी.बी.एस. की डिग्री से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा, वह वर्तमान में जयपुर में एक किराए के परिसर में रह रहे हैं। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि प्रत्यर्थी-वादी ने राजस्थान राज्य भर में दर्जनों मुकदमे दायर किए हैं। इसलिए, 'स्थायी खाता संख्या' के कब्जे के साथ मित्रों और परिवार द्वारा वित्तीय सहायता के निर्विवाद और स्वीकृत तथ्य पर विचार करते हुए, जो कि आयकर अधिनियम की धारा 139 क के प्रावधानों के अनुसार केवल कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जो वर्तमान स्लैब के अनुसार लगभग पाँच लाख रुपये है, इस न्यायालय का मानना है कि नीचे दी गई विद्वान न्यायालय ने सूचना की प्रासंगिक सामग्री पर विचार किए बिना, बिना सूचित निर्णय पर पहुंचने में गलती की, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

16. यहां ऊपर दिए गए निष्कर्षों पर विचार करते हुए और मथाई एम. पाइकडी (सुप्रा.) में न्यायालयय के आदेश पर भरोसा करते हुए, यह देखा गया है कि नीचे दी गई विद्वान न्यायालय, "पर्याप्त साधन" के दायरे का पता लगाने के मुद्दे से निपट रही है। जैसा कि नियम 1 के तहत प्रदान किया गया है, परिवार के सदस्यों या करीबी मित्रों से प्राप्त वित्तीय सहायता को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि उक्त अभिव्यक्ति न्यायालय की फीस का भुगतान करने के लिए उपलब्ध वैध तरीकों से धन जुटाने के लिए सामान्य तरीके से किसी व्यक्ति की क्षमता या क्षमता पर विचार करती है। इसलिए, किसी व्यक्ति के रोजगार की स्थिति और परिवार के सदस्यों या करीबी मित्रों से प्राप्त वित्तीय सहायता जैसे कारकों को यह निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है कि क्या किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन हैं या वह अपेक्षित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए गरीब है।

17. प्रत्यर्थी-वादी द्वारा उद्धृत निर्णय अलग-अलग हैं क्योंकि वे आदेश 33 की योजना और उसके प्रावधानों के कालानुक्रमिक पढ़ने अर्थात नियम (2), (5) और (6) पर विचार करने से बच गए हैं, जिन्हें दरकिनार कर दिया गया है और तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का उल्लंघन किया गया है।

18. जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, चर्चाओं और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को दिनांक 06.07.2022 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, साथ ही निचली न्यायालय को वैधानिक योजना पर विधिवत विचार करने के बाद मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 33 और उसमें बनाए गए नियम, जैसा कि तत्काल मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में लागू होता है।

19. इस आदेश में इस न्यायालय द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी निचली न्यायालय के साथ स्वतंत्र निर्णय के रास्ते में नहीं आएगी और इससे संबंधित पक्षों पर कोई अनुचित पूर्वाग्रह नहीं होगा।

20. तदनुसार, उपरोक्त शर्तों में रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

(समीर जैन), न्यायमूर्ति

Raghu/48

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।